प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.08.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25000/- रुपये का इनामी अपराधी गिरफ्तार

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर अधिनियम के अभियोग में वांछित **25000/-** रुपये के इनामी अपराधी लक्ष्मण पुत्र दिवान सिंह निवासी मायचा थाना दादरी कमि0 गौतमबुद्ध नगर हाल निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 49 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त लक्ष्मण उपरोक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार फरार चल रहा था । अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लक्ष्मण पुत्र दिवान सिंह निवासी हाल पता ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद मूल निवासी मायचा थाना दादरी कमि0 गौतमबुद्ध नगर उम्र 49 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिकासिटी पर हत्या का 01 अभियोग तथा गैंगस्टर अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 करोड रुपये की धोखाधडी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 14-08-24 को वादी श्री नौशाद पुत्र मेहरइलाही निवासी गली नं 2, शॉप 04, हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी की विपक्षी कमरुद्दीन निवासी लखनऊ डायरेक्टर जी. मल्टी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज द्वारा अपनी कम्पनी एवं फैनिल शुगर्स लि0 के मध्य स्क्रैप बेचने का सौदा किया, जिसमें कि विपक्षी द्वारा मुझे लगभग 03 करोड रुपये का स्क्रेप देना बताया और मुझे बस्ती जिले कि एक मिल के फर्जी कागज दिखाकर कहा कि इस मिल का पूरा स्क्रैप मैं आपको अच्छे दामो में दिला दूंगा। विपक्षी पर विश्वास कर मेरे द्वारा अपनी फर्म से करीब 93,50,000/- रुपये आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में और 55,88,000/- रुपये नगद भिन्न भिन्न तिथियों में कुल (1,49,38000 रुपये) विपक्षी को दिये लेकिन विपक्षी द्वारा तयशुदा माल (स्क्रैप) मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया, मेरे बार- बार कहने पर विपक्षी द्वारा 49,54,000/- रुपये वापस कर दिये और बकाया 99,84,000/- रुपये नहीं दिये और ना ही माल (स्क्रैप) दिया मांगने पर मेरे साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण -- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त को रोटरी गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया, अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता--

कमरुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी हाल- फ्लैट नं 301 आफताब प्लाजा खुर्रमनगर थाना विकासनगर लखनऊ, मुल निवासी- ग्राम पेडारिया पोस्ट पेडार थाना पैकुलिया जिला बस्ती उ0प्र0 उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास --

अभि0 के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग धोखाधडी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसे हडप लेने के संबंध में, थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग धोखाधडी कर पैसे हडप लेने के संबंध में। थाना पैकुलिया जिला बस्ती पर 01 अभियोग धोखाधडी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसे हडप लेने के संबंध में, थाना वाटरगंज जिला बस्ती पर 01 अभियोग धोखाधडी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसे हडप लेने के संबंध में, थाना पुरानी बस्ती जिला बस्ती में 01 अभियोग धोखाधडी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसे हडप लेने के संबंध में, थाना हजरतगंज जिला लखनऊ पर 02 अभियोग धोखाधडी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसे हडप लेने के संबंध में, थाना इन्द्रानगर जिला लखनऊ पर 01 अभियोग धोखाधडी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर पैसे हडप लेने के संबंध में, थाना गाजीपुर जिला लखनऊ में 01 अभियोग धोखाधडी के संबंध में, थाना सैनी कोशांबी पर 01 अभियोग धोखाधडी कर कुटरचित दस्तावेज कर पैसे हडप लेने के संबंध में, थाना कोतवाली जिला बाराबंकी पर 01 अभियोग धोखाधडी कर पैसे हडप लेने के संबंध में, थाना उत्तर प्रदेश राज्य से विभिन्न जनपदो में कुल 11 अभियोग धोखाधडी करना व फर्जी दस्तावेज तैयार कर पैसे हडप लेने के संबंध में पंजीकृत है।

अपराध करने का तरीका-- अभि0 कमरुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन उपरोक्त शुगर मील का मालिक बनकर स्क्रैप का काम करने वाले कारोबारी को सस्ते दामो में स्क्रैप बेचने का सौदा करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनको अपने विश्वास में लेकर उनके साथ धोखाधडी से करोडो रूपये हडपता है। जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य से विभिन्न जनपदों व अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का कृत्य कर स्क्रैप कारोबारियों से धोखाधडी कर करोडो रूपये हडप लिये गये हैं।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभि0 ने पूछताछ पर बताया मै मूलतः बस्ती जिले का रहने वाला हूँ पिछले कई वर्षो से में शेयर ट्रैडिंग का काम कर रहा हूँ। ट्रैडिंग का कार्य करते हुये मे अधिक धन कमाने की लालसा बढ गई और मैने जल्दी अमीर बनने के लालच में लोगों को अधिक मुनाफे का लालच दिखाकर उन्हे झांसे में लेकर बडी–बडी रकम हडप ली। इसी क्रम में मैने श्री नौशाद पुत्र मेहरइलाही निवासी गली नं 2, शॉप 04, हिन्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद जो कि स्क्रैप का अच्छा काराबारी है, जिससे मैनें पैसे ऐठने के लिए उसको शुगर मील का मालिक बताकर कम्पनी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसको विश्वास में लेकर 03 करोड रूपये स्क्रैप बेचने का सौदा किया, और 1,49,38000 रुपये की धोखाधडी कर ली और स्क्रैप भी नहीं दिया। नौशाद द्वारा बार- बार कहने पर मैने 49,54,000/- रुपये वापस कर दिये और बकाया 99,84,000/- रुपये नहीं दिये और ना ही माल (स्क्रैप) दिया। जब यह बार बार मुझ पर फोन करता तो मैने इसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसी तरह मैने उत्तर प्रदेश राज्य से विभिन्न जनपदों व अन्य राज्यो में भी स्क्रैप कारोबारियो से धोखाधडी कर करोडो रूपये हडप रखे है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

सर्विलांस टीम पुलिस उपायुक्त नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

कमरुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी हाल- फ्लैट नं 301 आफताब प्लाजा खुर्रमनगर थाना विकासनगर लखनऊ, मुल निवासी- ग्राम पेडारिया पोस्ट पेडार थाना पैकुलिया जिला बस्ती उ0प्र0 उम्र करीब 40 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

1.83/2024 थाना सिहानीगेट 406/420/506 आईपीसी

2.301/2022 थाना पेकोलिया जिला बस्ती 406/419/420/504/506 आईपीसी

3.305/2023 थाना वॉटर गंज जिला बस्ती धारा 406 420 506 आईपीसी

4.248/23 थाना पुरानी बस्ती जिला बस्ती धारा 420/506 आईपीसी

5.119/2024 थाना हजरतगंज लखनऊ धारा 409 420 467 468 471 504 506 आईपीसी

6.128/2024 थाना हजरतगंज लखनऊ धारा 120 बी 406 419 420 467 468 471 504 506 आईपीसी

7.65/2024 थाना सैनी जनपद कौशांबी धारा 406 504 506 आईपीसी

8.723/2024 थाना नंदग्राम गाजियाबाद धारा 406 420 467 468 471 504 506 आईपीसी

9.828/2021 थाना कोतवाली बाराबंकी धारा 406 420 504 506 आईपीसी

10.468/2020 थाना इंदिरा नगर लखनऊ धारा 409 420 आईपीसी

11.604/20 थाना गाजीपुर लखनऊ धारा 420 आईपीसी

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर सुनियोजित तरीके से अपहरण कर व्यक्ति की हत्या करने वाले 03 अपराधीयों को आजीवन कारावास व 85,000/- रू0 के अर्थ दण्ड की सजा दिलवाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण बिंन्दु वार -

1- दिनांक 12.10.2019 को वादी के भाई पंकज के साथ अज्ञात अभियुक्त द्वारा अपहरण करने के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0सं0 2169/19 की धारा 365 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचना के दौरान वादी के भाई का शव मिलने पर धारा 302/201/34 भादवि की वृद्धि की गयी।

2- साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में 01 अभियुक्त मुन्ना कुमार उर्फ हरिओम पुत्र चन्दिका व व 02 अभियुक्ता 1. श्रीमती सुलेखा पत्नी मुन्ना कुमार उर्फ हरिओम 2. कु0 अंकिता पुत्री मुन्ना कुमार उर्फ हरिओम निवासीगण म0न0 51 गिरधर एन्कलेव साहिबाबाद गाजियाबाद को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक 25.12.2019 को माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया।

3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 16.08.2024 को आरोप तय कर माननीय न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश कोर्ट स0 10 जनपद गाजियाबाद द्वारा 01 अभियुक्त मुन्ना कुमार उर्फ हरिओम पुत्र चन्दिका नि0 म0न0 51 गिरधर एन्कलेव साहिबाबाद गाजियाबाद को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 50,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का कठिन कारावास तथा 5,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया व 02 अभियुक्ता 1. श्रीमती सुलेखा पत्नी मुन्ना कुमार उर्फ हरिओम निवासी म0न0 51 गिरधर एन्कलेव साहिबाबाद गाजियाबाद को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का कठिन कारावास व 5,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 2. कु0 अंकिता पुत्री मुन्ना कुमार उर्फ हरिओम निवासी म0न0 51 गिरधर एन्कलेव साहिबाबाद गाजियाबाद को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10,000/-रू0 की अर्थदण्ड से दण्डित तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का कठिन कारावास व 5,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।